FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु, मुकाम ....

गोमाराम वगैरह बनाम हरचन्दराम वगैरह

किस्म मुकदमा रास्ता आवेदन नं. 125 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भा सिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/5/2019 को पेश हो।	
13/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।	
11/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/07/19 को पेश हों।	
23/07/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/10/19 को पेश हों।	

Scanned by CamScanner

वाद/2019/
प्रार्थी
गोमाराम पुत्र नवल...
निवासी ...

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढ़ा मेड़ विपक्षीगण के खेत आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगण के सेढ़ो पर जो पुरानी मेड़ एंव कोटे थे जो आंधियो की वजह से बिखर गये है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के सेढ़ो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा सेढ़ो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की मेड़ या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढ़ा तोड़ देते है एंवम बरसात होने पर काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार (रादपेशकार)

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (SDO) 16.10.2019

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2019/ 724 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट वगैरा2 निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर		हरचन्दराम पुत्र रामूराम जाति जाट वगैरा 20 निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 125/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हेमजी का पाना व हुडो की ढाणी पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 405/245, 407/310 रकबा कमश 19.00, 43.07 बीघा कुल रकबा 62.07 बीघा मौजा हेमजी का पाना व खेत खसरा संख्या 214/181, 215/183 रकबा कमश 20–06, 0–06 बीघा कुल रकबा 20.12 बीघा मौजा हुडो की ढाणी की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)

कमांक/वाद/2019/ 725-27 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोमाराम पुत्र नवलाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हरचन्दराम पुत्र रामूराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:29:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: